कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन), जिला–नीमच
दूरभाष–07423-225633, 226222, Email- districtelectionnmh@gmail.com

क्रमांक/3835/निविदा/भा.निर्वा./2019 नीमच, दिनांक 10 /05/2019

–: कोटेशन आमंत्रण सूचना :–

लोकसभा निर्वाचन, 2019 अन्तर्गत नीमच जिले की तीनो विधानसभा खण्डों 228–मनासा, 229–नीमच एवं 230–जावद की सामग्री वितरण/प्राप्ति दिनांक 18/19 मई 2019 तथा मतगणना दिनांक 23 मई 2019 को स्थल शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच में स्थापित किये जाने वाले विधानसभा क्षेत्रवार पॉण्डाल एवं महाविद्यालय के कमरो में जम्बो कूलर, मिनी जम्बो कूलर एवं फाउण्टेन कूलर किराये पर लगाये जाने हेतु दरे प्रति नग/प्रतिदिन के मान से सीलबंद कोटेशन संलग्न प्ररूप एवं शर्तो के अधीन आमंत्रित किये जाते है।

अतः इच्छुक व्यवसायी दिनांक 12/05/2019 तक अपरान्ह 01.00 बजे तक अपना कोटेशन कलेक्टर कार्यालय की भारत निर्वाचन शाखा में प्रस्तुत कर सकते है। कोटेशन की शर्ते जिले की वेबसाईट www.mpnee.nic.in पर उपलब्ध होने के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्यालयीन कार्य दिवसों एवं समय में दिनांक 12/05/2019 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। कोटेशन के साथ कोटेशन प्रदाता को धरोहर राशि रूपये 2000/–(दो हजार रू. मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पक्ष में जमा करना होगा। नियत दिनांक को प्राप्त कोटेशन क्रय समिति के सदस्यों एवं उपस्थित कोटेशन प्रदाताओं के समक्ष दिनांक 12/05/2019 को दोपहर 03:00 बजे खोले जावेगें।

संलग्न – कोटेशन प्ररूप एवं शर्ते

(कलेक्टर जिला नीमच द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
(भा.निर्वा.) जिला–नीमच

पृ.क्रमांक/3836/निविदा/भा.निर्वा./2019 नीमच, दिनांक 10/05/2019

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास, आगर–मालवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी नीमच/जावद/मनासा कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा करे तथा स्थानीय व्यावसायियों को सूचित करें।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी (DIO,NIC) जिला–नीमच की ओर जिले की वेबसाईट पर कोटेशन आमंत्रण सूचना के प्रसारण हेतु ।
4. तहसीलदार नीमच/जावद/मनासा कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा करे तथा स्थानीय व्यावसायियों को सूचित करें।
5. निविदा समिति सदस्य श्री...की ओर सूचनार्थ एवं निर्धारित दिनांक को समय पर कोटेशन पत्र खोलने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय में उपस्थित रहने का कष्ट करें।
6. संबंधित फर्म/प्रदायकर्ता ....की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. स्टेनो –टू–कलेक्टर नीमच।
8. जिला जनसंम्पर्क अधिकारी जिला–नीमच की ओर कोटेशन आंमत्रण सूचना का स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना के रूप में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
   संलग्न – कोटेशन प्ररूप एवं शर्ते

9-5-19

अपर कलेक्टर एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
(भा.निर्वा.) जिला–नीमच

कोटेशन प्रपत्र–1

किराये पर कूलर प्रदाये हेतु दरो की जानकारी प्रतिनग/प्रतिदिन

क्रमांक	कुलर का विवरण	दरें प्रति नग/प्रतिदिन के मान से	कोटेशन प्रदाता फर्म कि कूलर उपलब्ध करवाने की क्षमता (संख्या में बतावें)
1	जम्बो कुलर (दर प्रति नग/प्रतिदिन)		
2	मिनी जम्बो कुलर (दर प्रति नग/प्रतिदिन)		
3	पानी वाला फाउन्टेन कुलर फुल साईज (दर प्रति नग/प्रतिदिन)		

कोटेशन प्रदाता के हस्ताक्षर
नाम.......................
पता.........................
मोबाइल नम्बर............

कोटशन प्रस्तत करने की शर्ते :–

1. कोटेशन बंद लिफाफे में प्राप्त किये जावेगें, जिस पर सुस्पष्ट अक्षरों में **"लोकसभा निर्वाचन, 2019 हेतु किराये पर कूलर प्रदाय कोटेशन"** अंकित कर आवश्यक अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रतियों सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. दरे प्रति प्रतिनग/प्रतिदिन के मान से दर्शायी जावे।
3. कोटेशन पत्रक में कोटेशन प्रदाता द्वारा अपनी एवं फर्म की पूर्ण जानकारी मय पते एवं मोबाईल नम्बर के साथ अनिवार्य रूम से दी जावें। उक्त जानकारी कोटेशन फार्म में ना होने पर कोटेशन पत्रक अमान्य होगा।
4. कोटेशन के साथ निविदाकार को धरोहर राशि रूपये 2000/–(दो हजार रू. मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पक्ष में जमा करना होगा।
5. कूलर बताई गई दिनांक को निर्धारित संख्या में शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच में किये गये निर्धारित स्थानो/कक्षों में अनिवार्य रूप से कोटेशन प्रदाता को स्थापित करना होगें।
6. कूलर में पानी भरने हेतु कोटेशन स्वीकृतकर्ता को पृथक से तीनों विधानसभा क्षेत्रों हेतु प्रति विधानसभा 02 कर्मचारी उक्तानुसार 06 कर्मचारी नियुक्त किये जाना अनिवार्य होगें।
7. कूलर में किसी भी प्रकार की खराबी होने की दशा में निविदाकार को कुशल इलेक्ट्रीशियनो को अनिवार्य रूप से लगाना होगा अथवा खराब कूलर को तत्काल बदलना होगा।
8. कोटेशन प्रदाता फर्म का गुमास्ता पंजीयन, जीएसटी पंजीयन होना अनिवार्य है उपरोक्त दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा साथ ही छायाप्रतियां स्व हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।
9. कोटेशन प्रदाता फर्म/स्वंय का पेन नम्बर, आधार नम्बर होना अनिवार्य है । पेन/आधार नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। छायाप्रतियां स्वहस्ताक्षरित की जाना होगी।
10. प्रत्येक कोटेशन पत्रक निर्धारित दिनांक एवं निर्धारित समय तक कार्यालय में प्रस्तुत होना चाहिये। कोटेशन तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किये जाएगें।
11. कोटेशन अन्तर्गत उचित दर प्राप्त न होने की दशा में कोटेशन पत्रक अस्वीकृत कर पुनः कोटेशन आंमत्रित करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, नीमच को रहेगा।
12. कोटेशन स्वीकृतकर्ता द्वारा जिस दर पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि उस दर में समस्त प्रकार के कर/खर्च सम्मिलित है।
13. किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच का होगा।
14. स्वीकृत कोटेशन प्रदाता द्वारा समय पर कार्य नही करने की दशा में किसी अन्य से कार्य करवाया जाएगा। जिसके अन्तर की राशि स्वीकृत निविदाकार से वसूल की जावेगी।

अपर कलेक्टर एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
(भा.निर्वा.) जिला–नीमच